भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1883

गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सस्ती विद्युत उत्पादन योजना</u>

1883. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

श्री संजय जाधवः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए सस्ती विद्युत उत्पादन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना को पूरा करने और कार्यान्वित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किसानों से ली गई भूमि/पट्टे का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या किसानों ने इस योजना में रुचि दिखाई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना में कम जोत वाले किसानों के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना मार्च, 2019 में शुरू की गई थी और नवंबर, 2020 में इसे बढ़ाया गया था ताकि महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में किसानों को किफायती और सुलभ विद्युत प्रदान की जा सके। यह मांग आधारित योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती है। योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

i. घटक 'क': किसानों की बंजर/परती भूमि पर 2 मेगावाट तक की क्षमता के प्रत्येक लघु सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके 10 गीगावाट क्षमता;
ii. घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; और
iii. घटक 'ग': फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) करके मौजूदा 35 लाख ग्रिड-कनेक्टिड कृषि पंपों का सौरीकरण।

दिनांक 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार, घटक 'क' के तहत कुल 141.33 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है और घटक 'ख' तथा घटक 'ग' के तहत संयुक्त रूप से लगभग 2.83 लाख पंप स्थापित/सौरीकृत किए गए हैं। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित घटक-वार मापदंड अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) पीएम-कुसुम योजना में किसानों से पट्टे पर ली जाने वाली भूमि के लिए कीमत निर्दिष्ट नहीं की गई है। तथापि, दिनांक 12.07.2023 को संशोधित योजना दिशानिर्देश के तहत राज्यों को योजना के घटक 'ग' के लिए भूमि पट्टा दरों की घोषणा करने की अनुमति है।

(घ) योजना में किसानों और राज्य सरकार द्वारा दिखाई गई रुचि का इस बात से पता चलता है कि दिनांक 30.11.2023 तक घटक 'क' के तहत 4466 मेगावाट क्षमता की स्वीकृति, घटक 'ख' के तहत 10.51 लाख से अधिक पंपों की स्वीकृति और एफएलएस के लिए घटक 'ग' के तहत लगभग 30.45 लाख पंपों की स्वीकृति हुई है।

(ङ) योजना में कम भूमि वाले किसानों के लिए कई प्रावधान हैं।

योजना में घटक 'क' के तहत, किसानों की बंजर/परती भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की अनुमति है। तथापि, छोटे किसानों की सहायता के लिए तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर घटक 'क' के तहत 500 किलोवाट से कम सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अनुमति है।

पीएम कुसुम योजना के घटक 'ख' में प्रावधान है कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

घटक 'ग' (एफएलएस) के तहत, कम भूमि वाले किसान, जो अपनी भूमि को, सबस्टेशन के पास, पट्टे पर देना चाहते हैं, राज्यों/एसआईए/डिस्कॉमों द्वारा विकसित एसपीवी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

अनुलग्नक

"सस्ती विद्युत उत्पादन योजना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 14.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1883 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-कुसुम योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं

| घटक, लक्ष्य और मानदंड | उपलब्ध वित्तीय सहायता |
|---|---|
| योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना मांग आधारित और कार्यान्वयन के लिए देश के सभी किसानों के लिए है। | |
| घटक-क: किसानों की बंजर/परती/चरागाह/ दलदली भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्रों की स्थापना व्यक्तिगत किसान, सौर विद्युत डेवलपर, सहकारी समितियों, पंचायतों और कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा की जा सकती है। | योजना के तहत सौर/अन्य अक्षय विद्युत की खरीद के लिए 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा अथवा 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, की दर से डिस्कॉमों को खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) दिया जाता है। डिस्कॉम को यह पीबीआई, संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉम को देय कुल पीबीआई 33 लाख रु. प्रति मेगावाट है। |
| घटक-ख: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। | घटक-ख और घटक-ग के तहत व्यक्तिगत पंप के सौरीकरण के लिए: |
| घटक-ग: (i) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण और (ii) फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण | एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत अथवा निविदा में प्रणालियों का प्राप्त मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है। तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत या निविदा में प्राप्त प्रणालियों का मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, 50% सीएफए प्रदान किया जाता है। |
| घटक-ख और घटक-ग के तहत व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, प्राथमिक कृषि साख समितियां और समुदाय/ क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली लाभार्थी हो सकते हैं। | इसके अलावा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम-से-कम 30% वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होती है। शेष लागत लाभार्थी द्वारा दी जानी होती है। पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख और घटक-ग (आईपीएस) का राज्य के 30% हिस्से के बगैर भी कार्यान्वयन किया जा सकता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% का वहन किसान द्वारा किया जाएगा।<br>कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। भागीदार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्यता नहीं है। फीडर सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है। |

*****